न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्री मांगीलाल मीणा पुत्र श्री दीपाराम, जाति- मीणा, निवासी- रुखाडा, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. ग्राम पंचायत, रुखाडा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, रुखाडा, तहसील- शिवगंज
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज
3. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी सवाराम जी, जाति-मीणा, निवासी- रुखाडा, तहसील-शिवगंज
4. पुष्पा पुत्री सवाराम जी, जाति- मीणा, निवासी- रुखाडा, तहसील- शिवगंज

पंचायत निगरानी संख्या: 16/2019

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से
2. अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवडा, अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 12 नवम्बर, 2020**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, रुखाडा द्वारा ग्राम सभा बैठक दिनांक 08.9.2016 में पारित प्रस्ताव संख्या-3 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या- 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह देवडा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या- 3 व 4 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। जबकि अप्रार्थी संख्या-1 को नोटिस की तामिल होने के बाद भी अप्रार्थी ग्राम पंचायत, रुखाडा की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

(3) दिनांक 02.11.2020 को बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम रुखाडा, तहसील- शिवगंज में खसरा संख्या 73 व 74 कुल किता 2 रकबा 69 बीघा 17 बिस्वा एवं खसरा संख्या 114 रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा भूमि आई हुई है, जिसमें सदा पुत्र लुम्बाजी के दर्ज हिस्से के संबंध में उनकी मृत्यु के बाद सदाजी के कोई प्रथम श्रेणी के वारिसान नही होने से उनके द्वितीय श्रेणी के वारिसान के नाम से नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिये था, लेकिन केवल केसा पुत्र लुम्बाजी के नाम से नामान्तरकरण दायर किया गया। उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कराने हेतु अपील प्रस्तुत की गई, जो स्वीकार की गई एवं मामला सुनवाई कर निर्णित करने हेतु तहसीलदार

.....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.30 13:18:19 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

शिवगंज को रिमाण्ड किया गया था। उक्त मामला रिमाण्ड होने के बाद ग्राम पंचायत, रुखाडा ने ग्राम सभा की बैठक दिनांक 08.9.2016 में प्रस्ताव संख्या 3 पारित किया है, जिसमें सदा पुत्र लुम्बाजी के सवा पुत्र केसाजी मीणा को गोद लेने, सवा पुत्र केसाजी की मृत्यु होने पर उसकी पत्नि लक्ष्मी तथा पुत्री पुष्पा को वारिसान बताया गया तथा उसके अलावा कोई वारिस नही होना अंकित किया गया है। उक्त प्रस्ताव सर्वथा विधि विरुद्ध है एवं ग्राम पंचायत व ग्रामसभा के क्षेत्राधिकार से परे है। उक्त प्रस्ताव की प्रति तहसीलदार, शिवगंज के समक्ष लम्बित नामान्तरकरण की कार्यवाही में प्रस्तुत की गई है। यह कि ग्राम पंचायत को उत्तराधिकार के संबंध में निर्णय करने का कोई अधिकार नही है तथा न ही ऐसा प्रस्ताव लेने तथा प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार है। उत्तराधिकार के संबंध में निर्णय करने का एक मात्र अधिकार सिविल न्यायालय को ही है। यह कि सदा पुत्र लुम्बाजी मीणा ने किसी भी व्यक्ति को अपना गोदी पुत्र नही बनाया था एवं न ही उनकी पत्नि द्वारा सवाराम पुत्र केसाजी को कभी भी गोद लिया गया है, यदि ऐसा कोई गोदनामा या गोद लिया हुआ होता तो प्रथम नामान्तरकरण के समय अवश्य ही प्रस्तुत किया जाता, लेकिन उस समय केवल केसाजी के वारिसान के नाम से नामान्तरण दर्ज किया गया है जिससे स्पष्ट है कि सदा पुत्र लुम्बाजी नाऔलाद फौत हुआ था तथा उसकी सम्पति को हडप करने के आशय से सवा पुत्र केसाजी को गोद जाना बताया जा रहा है। ग्राम पंचायत को बिना किसी साक्ष्य के ऐसा प्रस्ताव पारित करने का कोई अधिकार नही है। गोदी पुत्र के संबंध में घोषणा करने का क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय को प्राप्त है, गोद के संबंध में Hindu adoption and maintance Act में प्रावधान दिये गये है, जिसके अनुसार ही किसी भी व्यक्ति को गोद लिया जा सकता है तथा गोद को साबित किया जाना आवश्यक होता है, उसके बावजदू भी ग्राम पंचायत, रुखाडा द्वारा व्यक्ति विशेष को अनुचित लाभ पॅहुचाने की नियत से आलोच्य प्रस्ताव ग्राम सभा में पारित किया है, जिससे प्रार्थी के हित प्रभावित हो रहे है। यह कि ग्राम पंचायत, रुखाडा द्वारा ग्राम सभा में उक्त प्रस्ताव पारित करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। प्रस्ताव हेतु किस व्यक्ति द्वारा आवेदन किया गया, आवेदन पर क्या कार्यवाही हुई, इस संबंध में क्या जांच की गई, के संबंध में प्रस्ताव में कोई अंकन नही है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त RBJ(19)2012 Page 644-649 में अंकित तथ्यों की ओर भी ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत और राजस्व न्यायालय को गोद व उत्तराधिकार के संबंध में निर्णय करने का अधिकार नही है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार कर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, रुखाडा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 08.9.2016 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्ति किया कि सदा पुत्र लुम्बाजी व उनकी पत्नी श्रीमती नगीदेवी ने उनके कोई पुत्र नही होने से अप्रार्थी संख्या- 3 के पति व अप्रार्थी संख्या-4 के पिता सवाराम पुत्र केसाजी, जाति- मीणा, निवासी- रुखाडा को जाति रीति रिवाज अनुसार गोद लिया था जिसका गोदनामा दिनांक 18.7.1989 को दस रुपये के सटाम्प पर लिखा गया था जिस

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.30 13:18:19 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही (राज.)

पर बतौर गवाह प्रार्थी मांगीलाल के पिता व सदाजी के भाई दीपारामजी, कपूरारामजी, अनारामजी व अन्य गवाहान ने अपने हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी की थी। इस प्रकार, स्वर्गीय सवाराम, सदा पुत्र लुम्बाजी व उनकी पत्नी नगीदेवी का गोदी पुत्र है और सवाराम ने सदाराम व उनकी पत्नी नगीदेवी की सेवा चाकरी व भरण पोषण गोदी पुत्र की हैसियत से किया है तथा एक पुत्र की हैसियत से सदाजी व उनकी पत्नी नगीदेवी की मृत्यु पर सामाजिक कार्यक्रम व रस्म का खर्चा भी वहन किया है। नगीदेवी की मृत्यु दिनांक 15.4.1992 को हुई थी। अप्रार्थी संख्या-3 के पति सवाराम के नाम जारी निर्वाचन पहचान पत्र दिनांक 11.6.1995 में भी सवाराम के पिता का नाम सदारामजी अंकित है। गोदी पुत्र सवाराम के नाम बने आधार कार्ड में भी सवाराम पुत्र सदाराम अंकित है तथा सवाराम के नाम वर्ष 2006 में जारी राशन कार्ड में भी पिता का नाम सदाजी मीणा अंकित है। सदाजी की मृत्यु के बाद सवाराम उनका गोदी पुत्र होने से सदाजी के नाम दर्ज खातेदारी हक हिस्से का नामान्तरकरण सवाराम के नाम दर्ज करवाने हेतु सवाराम ने एक लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 30.5.2011 (06.6.2011) जिला कलक्टर, सिरोही को पेश किया था। गोदी पुत्र सवाराम का भी स्वर्गवास दिनांक 17.12.2013 को हो गया है तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की पत्नी व पुत्री होने से प्रथम श्रेणी की वारिसान व उत्तराधिकारी है और स्वर्गीय सदाराम पुत्र लुम्बाजी व स्वर्गीय सवाराम गोदी पुत्र सदारामजी द्वारा छोडी गई समस्त चल व अचल सम्पति को प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अप्रार्थी संख्या-3 व 4 प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी व वारिसान होने से उनके नाम सदा पुत्र लुम्बाजी के खातेदारी कृषि का नामान्तरकरण भी दर्ज कर करवाने का अधिकार रखती है। प्रार्थी व आमजन को प्रारम्भ से ही पूर्ण जानकारी रही है कि अप्रार्थी संख्या- 3 के पति व अप्रार्थी संख्या- 4 के पिता सवाराम, सदा पुत्र लुम्बाजी का गोदी पुत्र है और ग्राम पंचायत, रुखाडा द्वारा भी ग्राम सभा में गहन विचार विमर्श कर दिनांक 08.9.2016 को संकल्प संख्या 3 उत्तराधिकार बाबत लिया गया था जो पूर्ण रुप से विधि अनुरुप है। स्वर्गीय सदा पुत्र लुम्बाजी के नाम दर्ज कृषि भूमि को प्रार्थी हडपना चाहता है और इसी उद्देश्य की पूर्ति में गलत तथ्यों पर यह निगरानी आवेदन पेश किया है। यह कि ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा में उपस्थित आमजन से जानकारी प्राप्त कर व पूरी तहकीकात करने के बाद संकल्प संख्या 3 पारित किया है, जिसे गोदनामा दिनांक 18.7.1989 से भी बल मिलता है। ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प लेने व प्रमाण पत्र जारी करने में विधि में कही कोई बाधा नही है। यह कि स्वर्गीय सदाजी पुत्र लुम्बाजी का प्रार्थी प्रथम श्रेणी का वारिस नही है। स्वर्गीय सदाजी के सदाजी सहित पांच भाई थे और पांचों भाईयों या उनके वारिसान को गोद व संकल्प संख्या 3 के संबंध में कोई उजर एतराज नही है और सबको पता है कि सवाराम, सदा पुत्र लुम्बाजी के गोद गया हुआ है। प्रार्थी गोद लेनार सदाराम के भाई दीपाराम का पुत्र है और सदारामजी की कृषि भूमि को नाजायज हडपने और अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को सम्पति से वंचित करने की नियत से गलत कथनों के आधार पर निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है, जो खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.30 13:18:19 IST
Reason: SelfAttested

रुखाडा द्वारा दिनांक 08.9.2016 में पारित प्रस्ताव संख्या 3 में यह अंकित किया है कि ''ग्रामसभा में विचार विर्मश कर निर्णय लिया गया कि स्व. सदाजी पुत्र लुम्बाजी मीणा रुखाडा के सवाराम पुत्र केसाजी मीणा गोदी किया हुआ है, स्व. सदाराम पुत्र लुम्बाजी की कृषि भूमि एवं अन्य सम्पति में स्व. सवाराम पुत्र केसाजी की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी लक्ष्मी बेवा सवाराम मीणा व स्व. सवाराम की पुत्री बालिग पुष्पा दोनों ही उत्तराधिकारी है इन दोनों के अलावा अन्य कोई दूसरा उत्तराधिकारी नही है।''

ग्रामसभा, ग्राम पंचायत, रुखाडा में पारित उक्त प्रस्ताव के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, रुखाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पक्ष में प्रस्ताव पारित कर गोद व उत्तराधिकार के बिन्दु का निर्धारण किया गया है। जबकि गोदी पुत्र के संबंध में घोषणा करने का अधिकार ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को नही है। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को उत्तराधिकार के संबंध में भी किसी भी प्रकार निर्णय लेने का कोई हक अधिकार नही है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा विधिक दृष्टान्त RBJ(19)2012 Page 644-649 में यह अभिनिर्धारित किया है कि ग्राम पंचायत और राजस्व न्यायालय को गोद व उत्तराधिकार के संबंध में निर्णय करने का अधिकार नही है। इससे यह स्पष्ट है कि ग्रामसभा, ग्राम पंचायत, रुखाडा ने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर आलोच्य प्रस्ताव पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अत: प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, रुखाडा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 08.9.2016 को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

12/11/2020

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.30 13:18:19 IST
Reason: SelfAttested